

**न्यायालय: विशेष न्यायाधीश (डकैती), गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)**  
**(समक्ष: मोहम्मद अज़हर)**

**विशेष सत्र प्रकरण कमांक-199/15 (डकैती)**

**प्रस्तुति/संस्थित दिनांक 28.11.15**

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा पुलिस थाना-मौ  
जिला-भिण्ड (म.प्र.) .....अभियोगी

**बनाम**

गुड्डा उर्फ रणवीर यादव पुत्र श्री बरजोर  
सिंह यादव आयु 45 वर्ष व्यवसाय खेती,  
निवासी रामलीला भवन के पास लोहारपुरा,  
वार्ड नम्बर-5 मौ, थाना मौ, तहसील गोहद,  
जिला भिण्ड म0प्र0

.....अभियुक्त

(सह अभियुक्त जैकी उर्फ जयकुमार यादव का निर्णय दि. 31.07.2017  
को घोषित हो चुका है।)

राज्य द्वारा श्री बी0एस0 बघेल विशेष लोक अभियोजक।  
अभियुक्त द्वारा श्री बृजेन्द्र सिंह यादव अधिवक्ता।

// निर्णय //

(आज दिनांक 26/09/2017 को घोषित)

1. अभियुक्त गुड्डा उर्फ रणवीर यादव के विरुद्ध भा0दं0सं0 की धारा 394 सहपठित 34 सहपठित 11/13 मध्यप्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध के यह आरोप हैं कि उसने दिनांक 19.02.15 को दिन के 11 बजे या उसके लगभग किटी रोड़ मौ अंतर्गत थाना मौ जिला भिण्ड के डकैती प्रभावित क्षेत्र में सहअभियुक्त जैकी उर्फ जय कुमार यादव के साथ मिलकर फरियादी योगेन्द्र सिंह सोलंकी की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित कर उसके इंटेक्स कंपनी का मोबाइल व दौ सौ पचास रूपए की लूट कारित की।
2. प्रकरण में यह निर्विवादित है कि प्रकरण में बताया गया घटनास्थल राजस्व जिला भिण्ड के अंतर्गत होकर म.प्र.शासन

गृह (पुलिस विभाग) मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ 12-1/2000/पी(1)दो भिण्ड, दिनांक 20.01.2000 से मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 के तहत डकैती प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है और घटना दिनांक को वह डकैती प्रभावित क्षेत्र था।

3. अभियोजन के अनुसार दिनांक 19.02.15 को फरियादी योगेन्द्र सिंह सोलंकी अपने गांव परघेना किटी रोड़ पर से अपनी साइकिल से जा रहा था, दूसरे मोड़ के पास पहुंचने पर लाल रंग की हीरोहोण्डा मोटरसाइकिल पर दो अभियुक्त आए और मोटरसाइकिल उसकी साइकिल के आगे लगा दी और बोले कि उनका पर्स तो नहीं मिला है ? तब फरियादी ने कहा नहीं तो। तब पीछे बैठे व्यक्ति ने दक्खनी बबूल का डण्डा उसके बाएं पैर में घुटने व पिंडली में मारा जिससे उसे चोटें आई, उसी व्यक्ति ने फरियादी की जेब में से इंटेक्स कंपनी का लाल रंग का मोबाइल निकाल लिया। मोटरसाइकिल चलाने वाले व्यक्ति ने उसका पर्स निकाल कर उसमें रखे 250/-रुपए निकाल लिए और दोनों मोटरसाइकिल पर बैठकर किटी तरफ भाग गए। फरियादी के उक्त मोबाइल में आइडिया की सिम क्रमांक 9669422636 डली थी। किटी से विशम्भर पण्डित आ रहे थे, उनके माध्यम से अपने भाई को खबर की तब भाई सतेन्द्र पड़ोसी धर्मेन्द्र को लेकर आ गया। मोटरसाइकिल चलाने वाला व्यक्ति पीला लोअर पहने था तथा पीली साफी बांधे था और मुंह ढके हुए था तथा माथे पर तिलक लगाए था। दूसरा व्यक्ति नीली शर्ट सफेट धारी का काला पेंट पहने था तथा सफेद साफी से अपना मुंह बांधे था। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना मौ में प्र0पी0-01 के रूप में की गई। जिस पर से अपराध क्रमांक 33/15 अंतर्गत धारा-394 भा0द0सं0 सहपठित धारा-11 एवं 13 मध्यप्रदेश डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। रिपोर्ट में फरियादी ने लूट करने वालों की पहचान कर लेना बताया है। फरियादी योगेन्द्र सिंह को मेडीकल परीक्षण हेतु भेजा गया, जिसकी रिपोर्ट प्र0पी0-05 है।

4. दौराने अनुसंधान घटनास्थल का नक्शा मौका प्र0पी0-02 बनाया गया फरियादी योगेन्द्र सिंह का प्र0पी0-03 का, विशम्भर शर्मा, जितेन्द्र सिंह, एवं धर्मेन्द्र का कथन उसी दिनांक 19.02.15 को लिए गए। दिनांक 02.08.15 को अभियुक्त जैकी उर्फ जयकुमार यादव को प्र0पी0-09 के गिरफ्तारी पंचनामे से गिरफ्तार किया गया। उसका धारा-27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का मेमोरेण्डम प्र0पी0-10 तैयार किया गया। उसने एक मोबाइल अपनी जेब में मिलना तथा 250/-रुपए गुड्डा के द्वारा लेना बताया है। उसके द्वारा बताई गई उक्त जानकारी के अनुसार अभियुक्त जयकुमार से प्र0पी0-11 के जप्ती पंचनामे के अनुसार इंटेक्स कंपनी का दो सिम का मोबाइल जप्त किया गया। दिनांक 18.11.15 को सहअभियुक्त गुड्डा उर्फ रणवीर यादव के प्र0पी0-06 के गिरफ्तारी पंचनामे से गिरफ्तार किया गया। उसका धारा-27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का मेमोरेण्डम प्र0पी0-07 लिया गया। जिसमें उसने

250/-रुपए खर्च कर लेना बताया है। गुड्डा उर्फ रणवीर यादव से वह मोटरसाइकिल जप्त की गई, जिसे घटना में प्रयुक्त किया गया था, जिसका जप्ती पंचनामा प्र0पी0-08 बनाया गया। इंटेक्स कंपनी के मोबाइल की शिनाख्ती की कार्यवाही दिनांक 26.11.15 को तहसीलदार गोहद के द्वारा कराई गई। फरियादी ने अपना उक्त मोबाइल पहचान लिया, जिसका शिनाख्ती मेमो प्र0पी0-04 है। बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध पाए जाने पर अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

**5.** उल्लेखनीय है कि सहअभियुक्त **गुड्डा उर्फ रणवीर यादव का विचारण अभियुक्त जैकी से प्रथक किया गया, तत्पश्चात उसे फरार घोषित किया गया था।** उसका स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। इस दौरान प्रकरण में दिनांक 31.07.2017 को केवल अभियुक्त जयकुमार यादव उर्फ जैकी के संबंध में निर्णय घोषित किया गया। दिनांक 14.09.2017 को अभियुक्त गुड्डा उर्फ महावीर को प्रोडक्शन वारंट के पालन में तलब किया गया। यह निर्णय केवल गुड्डा उर्फ रणवीर के संबंध में किया जा रहा है।

**6.** अभियुक्त गुड्डा उर्फ रणवीर को उसके विरुद्ध लगाए गए उपरोक्त अपराध के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने अपराध करना अस्वीकार किया एवं विचारण की मांग की। धारा-313 दं0प्र0सं0 के तहत अभियुक्त गुड्डा उर्फ रणवीर का परीक्षण किए जाने पर उसका कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फसाया गया है।

**7.** प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह हैं कि:-

1. क्या दिनांक 19.02.15 को दिन के 11 बजे या उसके लगभग किटी रोड़ मौ अंतर्गत थाना मौ जिला भिण्ड के डकैती प्रभावित क्षेत्र में फरियादी योगेन्द्र सिंह से इंटेक्स कंपनी के मोबाइल एवं 250/-रुपए की लूट कारित की गई ?
2. क्या उक्त लूट कारित करने में फरियादी योगेन्द्र सिंह की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की गई ?
3. क्या अभियुक्त गुड्डा उर्फ रणवीर के अधिपत्य से कोई सामग्री जप्त हुयी थी ?
4. क्या अभियुक्त गुड्डा उर्फ रणवीर के द्वारा सहअभियुक्त जयकुमार यादव के साथ मिलकर उक्त लूट कारित की गयी एवं फरियादी योगेन्द्रसिंह को स्वेच्छया उपहति पहुंचाई गई ?
5. दोषसिद्धि एवं दण्डादेश ?

**--:: सकारण निष्कर्ष ::--****विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 एवं 02**

8. उपरोक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों को एक दूसरे से संबंधित होने के कारण उनका निराकरण एक साथ किया जा रहा है, ताकि तथ्यों की पुनरावृत्ति न हो।
9. फरियादी योगेन्द्र सिंह अ0सा0-02 ने यह बताया है कि साक्ष्य देने की दिनांक 09.03.16 से लगभग डेढ़ साल पहले दोपहर 11 बजे मौ से परघेना के लिए वह साइकिल से जा रहा था, रास्ते में किटी रोड के दूसरे मोड़ के पास दो अभियुक्तगण ने एक लाल रंग की मोटरसाइकिल हीरोहोण्डा से पीछे से आकर अपनी मोटरसाइकिल उसकी साइकिल के आगे लगा दी और उससे बोले कि उनका पर्स तो उसे नहीं मिला तब फरियादी ने कहा कि उसे नहीं मिला तो पीछे बैठे हुए व्यक्ति ने डण्डा उसके बाएं पैर में मारा जो उसके घुटने व पिंडली में लगा, जिसकी चोट से वह गिर गया। फिर डण्डा मारने वाले व्यक्ति ने उसकी जेब से उसका मोबाइल फोन इंटेक्स कंपनी का निकाल लिया और दूसरे व्यक्ति ने उसकी जेब से उसका पर्स निकाल लिया जिसमें 250/-रुपए रखे थे। फिर दोनों बदमाश उसकी लूट करके किटी की तरफ भाग गए। इस प्रकार फरियादी ने दो व्यक्तियों द्वारा उसके मोबाइल एवं 250/-रुपए की लूट करना तथा मोटरसाइकिल के पीछे बैठे व्यक्ति द्वारा डण्डे से मारपीट कर उपहति पहुंचाना बताया है।
10. योगेन्द्र सिंह अ0सा0-02 ने यह भी बताया है कि थोड़ी देर में उसके पास किटी का विशम्भर पण्डित आ गया था, उनके फोन से अपने भाई सतेन्द्र को घटना की सूचना दी थी, तो थोड़ी देर में उसका भाई सतेन्द्र व पड़ोसी धर्मेन्द्र आ गए थे। थाना मौ में जाकर घटना की रिपोर्ट प्र0पी0-01 लिखाई थी तथा पुलिस ने घटना का नक्शा मौका प्र0पी0-02 बनाया था। अवनीश शर्मा अ.सा.-10 घटनास्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी.-02 बनाया जाना बताता है। फरियादी योगेन्द्र सिंह की साक्ष्य के संबंध में प्रतिपरीक्षण में कोई चुनौती नहीं दी गई है केवल पहचान के संबंध में प्रश्न पूछे गए हैं।
11. विशम्भर शर्मा अ0सा0-01 ने भी योगेन्द्र सिंह अ0सा0-02 की उक्त साक्ष्य की पुष्टि करते हुए गांव किटी से मौ जाना तथा रास्ते में योगेन्द्र के द्वारा घटना बताया जाना बताया है तथा उसके फोन से योगेन्द्र के द्वारा घर फोन लगाया जाना और थोड़ी देर में योगेन्द्र के भाई सतेन्द्र और एक आदमी का और आना बताया है। विशम्भर शर्मा अ0सा0-01 की इस साक्ष्य को भी बचाव पक्ष की ओर से कोई चुनौती नहीं दी गई है। प्रतिपरीक्षण में कोई प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, जिससे कि यह स्पष्ट हो जाता है कि बचाव पक्ष को यह स्वीकृत है कि फरियादी योगेन्द्र सिंह की मारपीट कर उससे मोबाइल और 250/-रुपए की लूट होने की घटना कारित हुई है।



**12.** सतेन्द्र अ0सा0-03 एवं धर्मेन्द्र अ0सा0-04 ने भी उक्त घटना की पुष्टि की है और योगेन्द्र सिंह द्वारा उन्हें घटना बताया जाना बताया है। इन दोनों साक्षियों की साक्ष्य को भी बचाव पक्ष की ओर से कोई चुनौती नहीं दी गई है। प्रतिपरीक्षण में घटना के संबंध में कोई प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, केवल दोनों ही साक्षियों के द्वारा घटना स्वयं न देखे जाने के प्रश्न पूछे हैं। जिन्हें इन साक्षियों ने स्वीकार किया है। स्पष्ट है कि घटना सतेन्द्र अ0सा0-03 एवं धर्मेन्द्र अ0सा0-04 के सामने नहीं हुई है और उन्हें घटना के बारे में योगेन्द्र ने बताया है। उनकी साक्ष्य से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि योगेन्द्र सिंह की मारपीट कर उससे मोबाइल और 250/-रुपए की लूट कारित की गई है। जिसकी पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-01 से भली भांति हो रही है। राजेश गुप्ता अ0सा0-07 ने योगेन्द्र सिंह के द्वारा दिनांक 19.02.15 को रिपोर्ट लिखाए जाने पर प्र0पी0-01 की रिपोर्ट लिखना बताया है। घटना होने के संबंध में इस साक्षी से भी कोई प्रश्न नहीं पूछे गए हैं।

**13.** डॉ० राहुल सिंह भदौरिया अ0सा0-05 ने दिनांक 19.02.15 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मौ में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ रहते हुए आहत योगेन्द्र सिंह को परीक्षण हेतु लाए जाने पर मेडीकल परीक्षण करना बताया है। उन्होंने मेडीकल करने पर योगेन्द्र सिंह के बाएं पैर के घुटने के नीचे बाहर की तरफ 5x2 से.मी. की चोट का निशान तथा बाईं टांग पर 5x0.5 से.मी. का छिलन का निशान होना पाया है। उक्त चोटें साधारण प्रकृति की होकर सख्त मौहथरी वस्तु से आना संभावित होकर परीक्षण के 12 घंटे के अंदर आना बताया है, उनकी रिपोर्ट प्र0पी0-05 है। अभियुक्त जैकी की ओर से प्रतिपरीक्षण में चोटें मोटरसाइकिल से गिरने से आना संभव होने का सुझाव दिया है, जिसे इस साक्षी ने स्वीकार किया है, परंतु जहां कि बचाव पक्ष की ओर से अभियोजन घटना को कोई चुनौती नहीं दी गई है, तब ऐसी स्थिति में फरियादी योगेन्द्र सिंह अ0सा0-02 की इस साक्ष्य पर अविश्वास किए जाने का कोई कारण नहीं है कि मोटरसाइकिल के पीछे बैठे व्यक्ति ने डण्डे से उसे उक्त चोटें पहुंचाई हैं। अतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह प्रकट और प्रमाणित होता है कि दिनांक 19.02.15 को दिन के 11 बजे या उसके लगभग किटी रोड़ मौ अंतर्गत थाना मौ जिला भिण्ड के डकैती प्रभावित क्षेत्र में फरियादी योगेन्द्र सिंह से इंटेक्स कंपनी के मोबाइल एवं 250/-रुपए की लूट कारित की गई और उक्त लूट कारित करने में फरियादी योगेन्द्र सिंह की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की गई।

### विचारणीय प्रश्न क्रमांक 03:-

**14.** प्रदीप पुत्र नाना अ0सा0-8 एवं राजू यादव अ0सा0-11 अभियुक्त गुड्डू की गिरफ्तारी प्र0पी0-6, मेमोरेंडम प्र0पी0-7 एवं जप्ती प्र0पी0-8 के साक्षी हैं। दोनों साक्षियों ने इन बिंदुओं पर अभियोजन का कोई समर्थन नहीं किया है। विवेचना अधिकारी शेर सिंह अ0सा0-13 ने

दिनांक 18.11.2015 को अभियुक्त गुड्डा उर्फ रणवीर को उनके द्वारा गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0-6 बनाया जाना, गुड्डा से पूछताछ कर धारा 27 भा0सा0अ0 का मेमोरेंडम लेना, गुड्डा के द्वारा 250/- रुपये खर्च होना एवं मोटरसाईकिल लाल रंग की घर पर रखी होना व चलकर बरामद कराना बताना, मेमोरेंडम प्र0पी0 7 बनाये जाना तथा प्र0पी0 7 पर से अभियुक्त गुड्डा की निशादेही से मोटरसाईकिल हीरोहोण्डा जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी0 8 बनाया जाना बताया है।

**15.** इस प्रकार इस साक्षी ने गुड्डा उर्फ रणवीर से केवल मोटरसाईकिल जप्त करना बताया है। योगेन्द्र सिंह अ0सा0-02 ने अज्ञात लोगों के द्वारा उसका इंटेक्स कम्पनी का मोबाईल और 250/- रुपये की लूट करना बताया है परन्तु इन दोनों ही में से कोई भी सामग्री अभियुक्त गुड्डा के द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार जप्त ही नहीं की गयी है। इस प्रकार यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त गुड्डा उर्फ रणवीर के आधिपत्य से लूट की गयी सामग्री जप्त हुयी।

**16.** शेर सिंह अ0सा0 13 ने मोटरसाईकिल जप्त करना बताया है जब कि मोटरसाईकिल की लूट नहीं हुयी है अपितु अभियोजन के अनुसार यह वह मोटरसाईकिल है जिसका उपयोग करते हुये बदमाशों के द्वारा लूट कारित की गयी। प्र0पी0 7 के धारा 27 भा0सा0अ0 के मेमोरेंडम में उक्त मोटरसाईकिल को लूटी हुयी मोटरसाईकिल होना बताया है जब कि अभियोजन मामला ऐसा है ही नहीं। शेर सिंह अ0सा0 13 ने भी मुख्य परीक्षण में पैरा-2 में लूटी हुयी मोटरसाईकिल लाल रंग की अभियुक्तग गुड्डा से जप्त करना बताया है, जब उक्त मोटरसाईकिल लूटी हुयी मोटरसाईकिल नहीं है। अपितु यह वह मोटरसाईकिल है जिस पर बैठकर बदमाश आये थे और लूट कारित की थी। ऐसी स्थिति में विवेचना अधिकारी शेर सिंह अ0सा0 13 के द्वारा अभियुक्त गुड्डा उर्फ रणवीर के संबंध में की गयी उक्त कार्यवाही निश्चित तौर पर संदेह की परिधि में आती है और उनकी विवेचना दूषित हो जाती है।

#### विचारणीय बिन्दु कमांक :-4

**17.** फरियादी योगेन्द्र सिंह अ0सा0-02 ने बताया है कि मोटरसाईकिल चलाने वाला व्यक्ति पीला लोअर पहने था, पीली साफी बांधे था और तिलक लगाए था और दूसरा व्यक्ति नीली शर्ट, सफेद धारी का काला पेंट पहने था और सफेद साफी बांधे था, दोनों बदमाश कपड़ा मुंह से बांधे थे। इस प्रकार फरियादी ने लूट कारित करने वाले दोनों व्यक्तियों का हुलिया बताया है। परन्तु पुलिस ने शिनाख्ती की कार्यवाही नहीं कराई है।

**18.** योगेन्द्र सिंह अ0सा0-02 ने न्यायालय में भी यह बताया है कि लूट करने वालों को वह पहचान नहीं पाया था और आज भी सामने आने पर लूट करने वालों को नहीं पहचान सकता है क्योंकि लूट करने वालों ने साफी से अपना चेहरा ढका हुआ था। इस प्रकार यह प्रमाणित नहीं होता है कि उक्त लूट अभियुक्त गुड्डा उर्फ रणवीर द्वारा की गई

और उक्त चोटें उसके द्वारा फरियादी को पहुंचाई गई।

- 19.** यद्यपि मोबाइल के संबंध में शिनाख्ती कार्यवाही करायी गयी है परन्तु वह सहअभियुक्त जैकी उर्फ जयकुमार से जप्त हुआ है, ऐसी स्थिति में उससे अभियुक्त गुड्डा उर्फ रणवीर का कोई संबंध स्थापित नहीं होता है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह तो प्रमाणित है कि फरियादी योगेन्द्र से उक्त लूट की घटना कारित की गयी तथा उसे स्वेच्छया उपहति कारित की गयी परन्तु योगेन्द्र अ0सा0 2 ने अभियुक्त गुड्डा उर्फ रणवीर को न्यायालय में नहीं पहचाना है और न ही उसके संबंध में पुलिस ने कोई शिनाख्ती कार्यवाही करायी है। अभियुक्त गुड्डा से लूटी हुयी कोई सामग्री भी जप्त नहीं हुई है। अतः यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त गुड्डा उर्फ रणवीर के द्वारा सहअभियुक्त जयकुमार यादव के साथ मिलकर उक्त लूट कारित की गयी एवं फरियादी योगेन्द्रसिंह को स्वेच्छया उपहति पहुंचाई गई।

#### **विचारणीय प्रश्न क्रमांक-05**

- 20.** उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियोजन अभियुक्त गुड्डा उर्फ रणवीर के विरुद्ध यह युक्ति युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उसने दि0-19/02/2015 को दिन के 11 बजे या उसके लगभग किटी रोड मौ अंतर्गत थाना मौ जिला भिण्ड के डकैती प्रभावित क्षेत्र में सहअभियुक्त जैकी उर्फ जयकुमार के साथ मिलकर फरियादी योगेन्द्रसिंह सोलंकी से उसका इंटेक्स कंपनी का मोबाइल व 250/-रुपये की लूट कारित की तथा उसकी मारपीट स्वेच्छा उपहति कारित की।
- 21.** फलस्वरूप अभियुक्त गुड्डा उर्फ रणवीर को भा0द0सं0 की धारा-394 एवं 34 भा0द0सं0 सहपठित 11/13 मध्यप्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 22.** अभियुक्त अभियुक्त गुड्डा उर्फ रणवीर यादव को दिनांक **18/11/2015** को गिरफ्तार किया गया था तथा दिनांक-14/02/2017 को उसकी जमानत स्वीकार होकर उसे दिनांक **19.04.17** को रिहा किया गया था। दिनांक 12.07.17 को वह पुनः अनुपस्थित हो गया था। उसे दिनांक 20/07/17 को फरार घोषित किया गया है। दिनांक **09/09/17** को उसे गिरफ्तारी वारंट के पालन में गिरफ्तार कर प्रस्तुत किया गया है। तब से वर्तमान तक वह निरोध में है। इस प्रकार अभियुक्त गुड्डा उर्फ रणवीर यादव इस प्रकरण में **01 वर्ष 153 दिवस** निरोध में रहा है। न्यायिक निरोध में गुजारी गई अवधि के संबंध में धारा-428 दं0प्र0सं0 का प्रमाणपत्र संलग्न किया जावे।
- 23.** प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति इंटेक्स मोबाइल फरियादी योगेन्द्र सिंह सोलंकी पुत्र हनुमंत सिंह निवासी बेहट रोड मौ जिला भिण्ड को अपील अवधि पश्चात वापिस किया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा

मोटरसाइकिल हीरो होण्डा लाल रंग की इजन नंबर 05ए27ई27221 तथा चेसिस नंबर 05ए27एफ35521 पर किसी भी पक्ष ने कोई क्लेम नहीं किया है। परंतु मुद्देमाल पर्चे एवं अन्य अभिलेख तथा मालखाने से ली गई जानकारी के अनुसार उक्त मोटरसाइकिल न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई है। इस संबंध में प्रथक से विविध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाकर थाना मौ से मोटरसाइकिल के संबंध में जानकारी तलब की जावे और उक्त जानकारी के अनुसार निराकरण किया जावे।

**24.** निर्णय की प्रति धारा-365 द.प्र.सं. के तहत आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला दण्डाधिकारी भिण्ड की ओर भेजी जावे।

निर्णय दिनांकित, हस्ताक्षरित  
कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(मोहम्मद अज़हर)  
विशेष न्यायाधीश, डकैती  
गोहद जिला भिण्ड

(मोहम्मद अज़हर)  
विशेष न्यायाधीश, डकैती  
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)